अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 64/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. सोमेश सिंह पुत्र श्री उमेश सिंह
2. मुक्तिका सिंह पत्नी श्री सोमेश सिंह

निवासी 123/78, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जिला जयपुर ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. उमेश सिंह पुत्र स्व. श्री नाथू सिंह
2. श्रीमती गंगा सिंह पत्नी श्री उमेश सिंह

निवासी 123/78, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.05.2022 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 43/2021 ब–उनवानी उमेश सिंह बनाम सोमेश सिंह व अन्य

उपस्थित :–

1. अपीलार्थी 1 व 2 मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. रेस्पोडेन्ट 1 व 2 मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 22.02.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 43/2021 ब–उनवानी उमेश सिंह बनाम बनाम सोमेश सिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.05.2022 से व्यथित होकर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एस बी सिविल रिट पिटीशन नं. 9087/2022 आदेश दिनांक 01.05.2023 की पालना में यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। तहत रिकार्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट 1 व 2, मय प्रतिनिधि के उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा–4 सपठित धारा 5 (1)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

(ए) व धारा 23 के तहत अपीलान्ट्स के विरूद्व अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्व अर्जित सम्पत्ति मकान नम्बर 123/78, सैक्टर–जोन 123, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर से अपीलार्थीगण को बेदखल करने का अनुतोष चाहा था। जिसे अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2022 से स्वीकार कर लिया जबकि अधीनस्थ अधिकरण को माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4, 5 (1) (ए) एवं 23 में बेदखल किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा सर्वथा मिथ्या कथन वर्णित किये गये है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने परिवाद में वर्णित किया है कि उसका उक्त विवादित मकान संख्या 123/78 अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर वर्ष 2018 में आवासन मण्डल द्वारा आवंटित किया गया था जबकि उक्त सम्पत्ति वर्ष 1993 में आवंटित की गई थी जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का राशन कार्ड भी जारी किया गया था । उक्त तथ्य रेस्पोडेन्ट द्वारा छिपाया गया, जबकि अपीलान्ट द्वारा अपने जबाब के साथ उक्त दस्तावेज संलग्न किये गये जिसमें वर्ष 1994 का राशन कार्ड भी शामिल है। जिससे प्रथम दृष्टया यह सिद्व होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा क्लीन हैण्ड से परिवाद प्रस्तुत नहीं किया तथा सर्वथा झूंठे कथनों के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया गया है । अधीनस्थ अधिकरण द्वारा आलौच्य निर्णय पारित करते समय इस तथ्य पर भी कतई गौर नहीं किया गया कि उक्त विवादित मकान वर्ष 2018 तक महज 2 कमरे एवं किचन व बाथरूम ही बने हुए थे जिसके सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वयं दस्तावेज प्रस्तुत किये है। उक्त विवादित मकान वर्तमान में तीन मंजिला बना हुआ है। जिसमें अपीलार्थी सं. 1 का 8 से 10 लाख रूपये खर्च हुआ है। अपीलार्थीगण अपने बच्चों के साथ फरवरी 2021 तक अन्यत्र किराये का मकान ले कर रहते थे । स्वयं रेस्पोडेन्ट एक के कहने पर ही अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त विवादित मकान नम्बर 123/78 अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर में वर्ष 2019–2020 में निर्माण हेतु आर्थिक एवं शारीरिक सहयोग प्रदान किया। अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी समस्त जमा पूंजी उक्त मकान को बनवाने में खर्च करदी । इसके अतिरिक्त अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा स्वयं तथा अन्य लेबर के सथ उक्त मकान की सम्पूर्ण बिजली फिटिंग का कार्य भी अपने खर्च से किया गया जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ अधिकरण ने कतई गौर नहीं किया। अधीनस्थ अधिकरण ने आलौच्य आदेश पारित करते समय इस तथ्य पर भी कतई गौर नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट के उक्त मकान में अपीलार्थी के अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट का छोटा लडका संजय अपने परिवार सहित निवास करता है इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट की लडकी शर्मिला भी अपने बच्चों के साथ निवास करती है । उपरोक्त सभी अलग अलग मंजिल पर निवास करते है, ऐसी स्थिति मे अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट के साथ दुर्व्यवहार किया जाना सम्भव नहीं है स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा शराब पी कर अपीलार्थी संख्या 2 के साथ गाली गलौच व मारपीट की जाती रही है जिससे अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा मजबूरीवश सहन किया जाता रहा है। अधीस्थ अधिकरण द्वारा अपना निर्णय पारित करने से पूर्व उक्त प्रारम्भिक जांच भी नहीं की गई तथा रेस्पोडेन्ट के झूंठे परिवाद के आधार पर उक्त आलौच्य निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने छोटे पुत्र संजय सिंह के साथ मिल कर अपीलार्थी संख्या 1 की टैक्सी आर जे 14 टीडी 1829 को भी जबरन हडप कर लिया तथा अपीलार्थीगण का रोजगार छीन कर उसके सामने आजीवविका का संकट खड़ा कर दिया ॥ इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

अपीलार्थीगण को दुर्व्यवहार करने के झूंठे आरोप को स्वीकर कर आलौच्य आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट से साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पत्र की भी मांग नही की गई, केवल मात्र प्रस्तुत परिवाद के आधार पर बिना वास्तविकता की जांच किये आलौच्य आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थीगण को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया, केवल मात्र सरसरी तौर पर अपीलार्थीगण के जबाब को रिकार्ड पर लिया जाकर उक्त निर्णय पारित कर दिया गया । जबकि अपीलार्थीगण के पास उक्त प्रकरण को झूंठा साबित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध था। जिसे अधीनस्थ अधिकरण ने अनदेखा करते हुये आलौच्य आदेश पारित कर दिया । अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05.2023 की सूचना एवं नकल अपीलार्थीगण को समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः न्यायहित में विलम्ब अविध को कन्डोन किया जाकर मैरिट पर निस्तारण किया जावे। को तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2022(1) CIVIL COURT CASES 534 (S.C.), 2022(3) CIVIL COURT CASES 131 (BOMBAY), 2022(1) CIVIL COURT CASES 621 (BOMBAY), 2022(1) CIVIL COURT CASES 800 (S.C.), अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2022 निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 वरिष्ठ नागरिक है जो अपनी स्व अर्जित सम्पत्ति 123/78 अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर के एक मात्र एवं अनन्य स्वामी है तथा उक्त सम्पत्ति पर निवास करते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अनुमति से ही रेस्पोडेन्ट का पुत्र अपीलार्थी संख्या 1 रेस्पोडन्ट की पुत्र वधु अपीलार्थी संख्या 2 तथा रेस्पोडेन्ट का एक पौत्र एवं एक पौत्री उक्त सम्पत्ति पर निवास करते आये है । यहां यह कथन उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वृद्वावस्था में अपनी सेवा सुश्रुषा हेतु अपीलार्थीगण को अपने साथ निवास की अनुमति दी थी, परन्तु अपीलार्थीगण के साथ रहना रेस्पोडेन्ट के जीवन अथवा सम्पत्ति के लिए असुरक्षित हो गया। अपीलार्थीगण के भय व झगड़े के शोर के कारण रेस्पोडेन्ट के दिल की घड़कन बढ जाती है तथा उन्हें ह्रदयघात का खतरा उत्पन्न हो जाता है। अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट के साथ दुर्व्यवहार एवं दोष पूर्ण बर्ताव करते है व गाली गलौच कर प्रताड़ित करते है जिसके कारण अपनी ही सम्पत्ति पर रेस्पोडेन्ट द्वारा एक सामान्य जीवन जीना भी दुर्भर हो गया है । अनेक बार अपीलार्थीगण ने रेस्पोडेन्ट को जान से मारने की धमकी दी है जिसके कारण रेस्पोडेन्ट को अपनी जान का खतरा दिन रात सताए रहता। रेस्पोडेन्ट अपने ही घर में शान्ति से निवास नहीं कर पा रहे है जिससे रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर मकान नम्बर 123/78 अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर अपीलार्थीगण से खाली कराने का निवेदन किया था। जिस पर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा विधिनुसार कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनाक 12.05.2022 विधि सम्मत पारित किया गया है जो उचित है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से पेश की गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. सर्वप्रथम हम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलार्थीगण की ओर से अपील विलम्ब से पेश की गई है,

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

किन्तु न्यायहित में विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाता है। न्यायहित में प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।

8. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आलौच्य आदेश 12.05.2022 को अपास्त करने एवं मकान नम्बर 123/78 अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर से अपीलार्थीगण को बेदखल नहीं किये जाने का अनुतोष चाहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपनी स्व अर्जित सम्पत्ति से अपीलार्थीगण को बेदखल कर कब्जा दिलाने का परिवाद पेश किया गया। रेस्पोडेन्ट उमेश सिंह ने विवादित मकान नम्बर 123/78 अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर का राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा अपने पक्ष में जारी की गई आवंटन डीड दिनांक 10.05.2018 की फोटो प्रति पेश की है। जिससे विवादित मकान रेस्पोडेन्ट उमेश सिंह के मालिकाना हक की होने की पुष्टि होती है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत माता–पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। इसी सन्दर्भ में अधीनस्थ अधिकरण द्वारा रेस्पोडेन्ट की सम्पत्ति मकान 123/78 अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर से अपीलार्थीगण को बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2022 की पुष्टि की जाती है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हों।

10. निर्णय आज दिनांक **22.02.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner